भागलपुर समाहरणालय
(जिला प्रोग्राम शाखा)

पत्रांक 245 जि0 प्रो0, दिनांक 16/02/2024

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
भागलपुर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– **मिशन शक्ति योजना अन्तर्गत वन स्टॉप सेन्टर, भागलपुर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक WCDC/2088/23 दिनांक 26.09.2023 के आलोक में वन स्टॉप सेन्टर, भागलपुर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु विज्ञापन प्रारूप की दो प्रति (हार्ड कॉपी) एवं सॉफ्ट कॉपी भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न वन स्टॉप सेन्टर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन संबंधित विज्ञापन प्रारूप को दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– 1. विज्ञापन प्रारूप हार्ड कॉपी दो प्रति।
2. सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 एक अदद)

विश्वासभाजन

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
भागलपुर।

ज्ञापांक – 245 /जि०प्रो०, भागलपुर दिनांक– 16/02/2024

प्रतिलिपि:– जिला जन संपर्क पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16-02
जिला पदाधिकारी,
भागलपुर।

ज्ञापांक - 33 दिनांक - 19/2/2024

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन० आई० सी०, भागलपुर को सूचनार्थ एवं भागलपुर NIC पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

19/2/2024

जिला परियोजना प्रबंधक
महिला एवं बाल विकास निगम
भागलपुर

अनुलग्नक– "क"

वन स्टॉप सेन्टर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

समाहरणालय, भागलपुर

वन स्टॉप सेन्टर (OSC)

विज्ञापन संख्या– 01/2023–2024

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक WCDC/2088/23 दिनांक 26.09.2023 के आलोक में वन स्टॉप सेन्टर, भागलपुर के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	कोटि	उम्र	मूल मानदेय
1	केन्द्र प्रशासक (महिला हेतु आरक्षित)	01	अनारक्षित	उम्र की गणना कोटिवार अनुमान्य आयु के अनुसार	30,000/–
2	केस वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग		22,000/–
3	मनो–सामाजिक परामर्शी (महिला हेतु आरक्षित)	01	अनारक्षित		22,000/–
4	कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक)	01	अनारक्षित		17,000/–
5	पारा लीगल पर्सनल/ अधिवक्ता (अंशकालिक)	01	अनारक्षित		8,000/– (समेकित) **EPF** एवं **ESIC** देय नहीं
6	पारा मेडिकल पर्सन (अंशकालिक) (महिला हेतु आरक्षित)	01	अनारक्षित		8,000/– (समेकित) **EPF** एवं **ESIC** देय नहीं
7	बहुद्देशीय कर्मी/कुक	02	01 अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं 01 अनुसूचित जाति)		13,000/–
8	सुरक्षा कर्मी/रात्री प्रहरी	03	01 अनारक्षित, 01 अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं 01 अनुसूचित जाति		13,000/–

नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी तथा आवेदन प्रारूप जिला वेबसाइट https://bhagalpur.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। रिक्त पदों के विरूद्ध आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से **15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर** अपराह्न 5:00 बजे तक Email- dpo.bhagalpur@rediffmail.com पर एवं हार्ड कॉपी जिला प्रोग्राम कार्यालय (ICDS), भागलपुर में स्वीकार किया जायेगा।

जिला पदाधिकारी,
भागलपुर।

अनुलग्नक— "ख"

वन स्टॉप सेन्टर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन
समाहरणालय, भागलपुर
वन स्टॉप सेन्टर (OSC)
विज्ञापन संख्या— 01 / 2023—2024

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक WCDC / 2088 / 23 दिनांक 26.09.2023 के आलोक में वन स्टॉप सेन्टर, भागलपुर के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:—

क्रम सं0	पद का नाम	पद की संख्या तथा कोटि	आयु	योग्यता / अहर्त्ता	मूल मानदेय
1	केन्द्र प्रशासक (महिला हेतु आरक्षित)	01 (अनारक्षित)	कोटिवार अनुमान्य आयु के अनुसार	**शैक्षणिक योग्यता** : कानून / समाजकार्य / समाजशास्त्र / समाज विज्ञान / मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर। **अनुभव** : महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर—सरकारी परियोजना / कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। **प्राथमिकता** : महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी / गैर— सरकारी परियोजना / कार्यक्रम में परामर्शी के रूप में कार्य अनुभव रखने वाले, साथ ही स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।	30,000 / —
2	केस वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)		**शैक्षणिक योग्यता** : कानून / समाजकार्य / समाजशास्त्र / समाज विज्ञान / मनोविज्ञान में स्नातक। **अनुभव** : महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर—सरकारी परियोजना / कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। **प्राथमिकता** : स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।	22,000 / —
3	मनो—सामाजिक परामर्शी (महिला हेतु आरक्षित)	01 (अनारक्षित)		**शैक्षणिक योग्यता** :मनोविज्ञान / तंत्रिका विज्ञान (न्यूरो साइंस) में स्नातक। **अनुभव** : महिला स्वास्थ के मुद्दों पर सरकारी या गैर—सरकारी परियोजना / कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।	22,000 / —
4	कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक)	01 (अनारक्षित)		**शैक्षणिक योग्यता** : कंप्यूटर / आईटी में डिप्लोमा। **अनुभव** : डाटा प्रबंधन, दस्तावेजीकरण तथा वेब—आधारित रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का राज्य या जिला स्तर पर सरकारी या गैर—सरकारी / आई.टी संस्थान में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।	17,000 / —
5	पारा लीगल पर्सनल / अधिवक्ता (अंशकालिक)	01 (अनारक्षित)		**शैक्षणिक योग्यता** : कानून में स्नातक। **अनुभव** : महिलाओं से संबंधित किसी सरकारी या गैर—सरकारी परियोजना / कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव या न्यायालय में मुकदमें के पैरवी करने का दो वर्ष का अनुभव।	8,000 / — (समेकित)

6	पारा मेडिकल पर्सन (अंशकालिक) (महिला हेतु आरक्षित)	01 (अनारक्षित)		**शैक्षणिक योग्यता** : पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा। **अनुभव** : सरकारी या गैर–सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ से संबंधित परियोजना/कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव	8,000/– (समेकित)
7	बहुद्देशीय कर्मी/कुक	02 (01 अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं 01 अनुसूचित जाति)		**शैक्षणिक योग्यता** : साक्षर। **अनुभव** : संबंधित क्षेत्र मे काम करने का ज्ञान/अनुभव। **प्राथमिकता** : हाई स्कूल उत्तीर्ण या समकक्ष को प्राथमिकता दी जाएगी।	13,000/–
8	सुरक्षा कर्मी/रात्री प्रहरी	03 (01 अनारक्षित, 01 अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं 01 अनुसूचित जाति)		**अनुभव** : जिला/राज्य स्तर पर किसी सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मियों के रूप में काम करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव **प्राथमिकता** : सेवानिवृत्त सैन्य/अर्ध–सैन्य कर्मी को प्राथमिकता दी जाएगी।	13,000/–

1. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।
2. नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
3. आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा। जिनके पास बिहार का अधिवास है।
4. उम्र सीमा : न्यूनतम आयु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को 42 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

   संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत होगी:

अनारक्षित वर्ग (पुरूष)	– 37 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अन्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	– 40 वर्ष
अनारक्षित वर्ग (महिला)	– 40 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	– 42 वर्ष

5. अनुभव अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी।
6. कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF एवं ESIC देय होगी। समेकित मानदेय वाले पदों पर EPF एवं ESIC देय नहीं होगी।
7. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबध मे नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नही होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएगें न सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला वन स्टॉप सेन्टर के अधीन होगा।
8. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।
9. प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखता है, तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

10. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/संस्थान/कार्यालय में कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

11. सरकारी/अर्ध–सरकारी अथवा गैर–सरकारी विभाग/संस्थान/कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

12. चयन प्रक्रिया– निर्धारित योग्यता रखनेवाले उम्मीदवारों में मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित Email ID एवं जिला के वेबसाइट https://bhagalpur.bih.nic.in पर दी जायेगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा।

13. मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मियों द्वारा सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

14. विज्ञापन एवं सेवा शर्तो से संबंधित सभी अधिकार, जिला पदाधिकारी, भागलपुर के अधीन है। जिला पदाधिकारी, भागलपुर विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है।

15. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से **15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर** अपना आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र/अंक पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए **Email- dpo.bhagalpur@rediffmail.com** पर समर्पित करेंगे एवं हार्ड कॉपी **जिला प्रोग्राम कार्यालय (ICDS), भागलपुर** में जमा करेंगे। प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

16. एक से अधिक पदों के लिए अलग–अलग आवेदन मान्य होंगे।

17. भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

18. अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु वेबसाइट https://bhagalpur.bih.nic.in का अवलोकन करते रहेंगे।

जिला पदाधिकारी,
भागलपुर।

आवेदन- प्रपत्र

विज्ञापन संख्या- ....

स्व-अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदित पद का नाम: ....
2. अभ्यर्थी का नाम: ....
3. जन्म तिथि : ....
4. माता का नाम: ....
5. पिता/ पति का नाम ....
6. आधार कार्ड नंबर ....
7. स्थायी आवास का पूरा पता (जिला के नाम के साथ)..
....
8. पत्राचार का पता: ....
....
9. श्रेणी: सामान्य ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ अति पिछड़ा वर्ग ☐
अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अन्य ☐
10. मोबाइल नंबर. ....
11. ई- मेल आईडी: ....
12. शैक्षणिक विवरणी: -

क्र०स०	शिक्षा	विषय	उत्तीर्णता का वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम
1	मैट्रिक					
2	इंटर					
3	स्नातक (प्रतिष्ठा का विषय)					
4	स्नातकोतर					
5	पीएचडी / अन्य					
6	कंप्यूटर योग्यता					
7	व्यवसायिक प्रशिक्षण					
8	अन्य					

13. कार्य अनुभव :-

क्र०स०	संस्थान का नाम	पदनाम	कार्य अवधि वर्ष / माह / दिन	कार्य विवरणी

14. संलग्न किये गये कागजातों की सूची:-

1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	

घोषणा:- उपरोक्त सभी सूचना मेरे जानकारी के आधार पर सत्य है। यदि भविष्य में कभी कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं स्वंय जिम्मेवार रहूँगा / रहूँगी एवं मेरे विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है ।

दिनांक

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर